



2026:AHC:35722

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट- ए संख्या-14613 सन् 2025

श्रीमती सुशीला सिंह

..... याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता: बालेश्वर प्रसाद यादव, विजय कुमार

प्रत्यर्थीगण के वकील: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बालेश्वर प्रसाद यादव और श्री विजय कुमार तथा राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार शुक्ला की दलीलें सुनीं।
2. चूंकि दोनों पक्षों के बीच प्रतिवाद और प्रत्युत्तर शपथपत्रों का आदान-प्रदान हो चुका है और विपक्षी आगे कोई शपथपत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं, इसलिए रिट याचिका का निर्णय सुरुआती स्तर पर किया जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसकी नियुक्ति 7 जून 1999 को स्टाफ नर्स के पद पर हुई थी और उसका स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता रहा। उसे 2 मार्च 2021 को सिस्टर के पद पर पदोन्नत किया गया और वह 30 जून 2025 को सेवानिवृत्त हुई। 29 मार्च 2025 को उसकी सेवानिवृत्ति से पहले, याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें उनसे यह पूछा गया था कि वेतनमान निर्धारण के लिए वसूली क्यों न की जाए। याचिकाकर्ता ने 5 अप्रैल 2025 को इसका उत्तर दिया था, हालांकि, याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए जवाब पर विचार किए बिना, सरकारी बीपी अस्पताल, प्रयागराज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा दिनांक 29 अगस्त 2025 को आक्षेपित आदेश पारित किया गया था।
4. इसी बात पर प्रश्न उठाते हुए यह रिट याचिका दाखिल की गई है।
5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि पहली बात तो यह है कि कोई वसूली नहीं की जा सकती थी, खासकर तब जब याचिकाकर्ता ने इस संबंध में

2

धोखाधड़ी, छिपाव या गलत बयानी नहीं की है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसका याचिकाकर्ता ने उत्तर दिया था, लेकिन अब उठाए जा रहे तर्कों पर विचार करते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह (व्हाइट वॉशर), 2015 (4) एससीसी 334 और थॉमस डेनियल बनाम केरल राज्य और अन्य, (2022) लाइव लॉ (एससी) 438, के मामले में दिए गए निर्णय के मद्देनजर कोई वसूली नहीं होगी।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता अतिरिक्त ने याची के अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस तर्क का खंडन करते हुए कहा कि नियोक्ता के लिए उन त्रुटियों को सुधारना हमेशा संभव है जिन्हें संयुक्त रूप से सुधारा गया है, हालांकि, वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए उन तर्कों पर विचार नहीं किया गया है जिनके लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना आवश्यक था।

7. मैंने बार द्वारा प्रस्तुत दलील को सुना और अभिलेख का अध्ययन किया है।

8. तथ्य विवादित नहीं हैं। याची समूह सी की कर्मचारी है जो 30.06.2025 को सेवानिवृत्त हुई थी। 29.03.2025 को तीसरे प्रत्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जो इस प्रकार है:

“श्रीमती गुलाबी देवी, सिस्टर के पत्र दिनांक- 21.02.2025 के दृष्टिगत आप दोनों की सेवा पुस्तिका का अवलोकन/ वेतन निर्धारण परीक्षण करने पर पाया गया कि शासनदेश संख्या- 2958/ पाँच-11-10 एम (135)/2010 दिनांक-13.01.2011 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत एवं वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उ० प्र० लखनऊ के पत्र दिनांक-02.05.2011 में दिये गये निर्देशों के क्रम में ग्रेड वेतन 4600 के उच्चीकरण दिनांक- 01.01.2006 से आपका वेतन त्रुटिपूर्ण है, जिसके सशोधनोंपरान्त पाया गया कि आप अधिक वेतन भुगतान पा रही हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक 28.03.2025 तक उक्त शासनदेश में निहित: प्राविधानों के अंतर्गत अपना वेतन निर्धारण/ तथ्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में लिखित रूप से देना सुनिश्चित करें, जिससे कि उक्त प्रकरण में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।”

9. याचिकाकर्ता द्वारा 05.04.2025 को एक उत्तर प्रस्तुत किया गया, जो इस प्रकार है:--

“विषय: आपके कार्यालय द्वारा मेरी सेवा पुस्तिका का अवलोकन किये जाने के पश्चात दिनांक 01.01.2006 से वेतन निर्धारण गलत पाये जाने के संबंध में।

3

महोदय

उपरोक्त विषय के क्रम में कृपया अपने कार्यालय पत्र सं० रा०क्ष०रो०चि०/ सशा० वे० निर्धा०/सिस्टर/ 2024-25/476 दिनांक 24.03.2025 का संदर्भ ग्रहण करने कि कृपा करें जिसमें आपके कार्यालय द्वारा मेरी सेवा पुस्तिका का अवलोकन करने के पश्चात दिनांक 01.01.2026 से मेरा वेतन निर्धारण गलत पाया गया जो कि शासनादेश संख्या-2958/पाँच-11-10 एम (135)/2010 दिनांक 13.01.2011 के क्रम में गलत निर्धारण किया गया था। इसके संबंध में बिन्दुवार स्पष्टीकरण निम्नलिखित है:

1. आप द्वारा श्रीमती गुलाबी देवी सिस्टर के पत्र दिनांक 21.02.2025 के दृष्टिगत मेरी सेवा पुस्तिका का अवलोकन किया गया इससे प्रतीत होता है कि आपके कार्यालय में कार्यरत लिपिक द्वारा कभी भी किसी भी सेवा पुस्तिका का अवलोकन नहीं किया जाता है यदि पूर्व से किया गया होता तो शायद किसी भी कर्मचारी के पत्र का संज्ञान न लेना पड़ता।

2. आपके कार्यालय के द्वारा के द्वारा मुझे पत्र दिनांक 24.03.2025 को दिया गया और पत्र में कहा गया कि आप 28.03.2025 तक उक्त शासनदेश में निहित प्राविधानों के अंतर्गत अपना वेतन निर्धारण / तथ्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में लिखित रूप से देना सुनिश्चित करें जबकि महोदय सर्वविदित है कि कोई भी स्टाफ सिस्टर कार्यालय के वेतन निर्धारण को नहीं जानती तो वो कैसे और किस आधार पर अपना वेतन निर्धारण कर सकती यह तो स्वयं के कार्यालय में कार्यरत लिपिक को ही करना आता है न कि किसी अन्य कर्मचारी को।

यहाँ आपको यह भी अवगत कराना है कि जब मेरे द्वारा कार्यालय लिपिक से पूछा गया कि किस आधार पर मेरा वेतन गलत और गुलाबी देवी का वेतन सही है तो उनके द्वारा नहीं बताया गया और नहीं मुझे गुलाब देवी की कोई भी वेतन निर्धारण की प्रति दी गई जिसमें से किसी युक्ति से अपना वेतन निर्धारण करवा सकें।

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



मेरी सेवा पुस्तिका में शासनदेश संख्या-2958/पाँच-11-10 एम(135)2010 दिनांक 13.01.2011 के द्वारा जो भी वेतन निर्धारण किया गया वह एक दम सही हाई यदि गलत है तो मुझे बताया जाय की किस तरह से गलत है।”

10. हलांकि, 29.08.2025 को निम्नलिखित आदेशों को पारित किया गया था:

“विषय:- त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित करना है कि आपकी सेवा पुस्तिका के अनुसार आपके पूर्व तैनाती स्थान से त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण पाये जाने के कारण वेतन निर्धारण का परीक्षण किये जाने हेतु निदेशक(नर्सिंग), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ० प्र०, लखनऊ एवं वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ० प्र०, स्वास्थ्य भवन लखनऊ भेजा गया था। महानिदेशालय द्वारा उक्त का परीक्षण किये जाने हेतु संशोधित वेतन निर्धारण एवं तुलनात्मक चार्ट उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी जिसके अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा संशोधित वेतन निर्धारण एवं तुलनात्मक चार्ट उपलब्ध कराया गया। वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ० प्र०, लखनऊ द्वारा संशोधित वेतन निर्धारण एवं तुलनात्मक चार्ट को

4

परीक्षण उपरान्त सही पाया गया। महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ० प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-19 फ/39-एन/99/1454, दिनांक:-25.08.2025 द्वारा संशोधित वेतन निर्धारण एवं तुलनात्मक चार्ट के अनुसार अग्रिम-आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। महानिदेशालय के उक्त आदेश के अनुपालन में त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान धनराशि रु०-12,09,906.00(रु० बारह लाख नौ हजार नौ सौ छ्छठ मात्र) की वसूली की जानी है, जो आपके सेवानिवृत्ती उपरान्त भुगतान की जाने वाली ग्रेज्युटी से की जायेगी।”

11. चुनौती दिए गए आदेश को सरसरी तौर पर देखने से ही स्पष्ट हो जाता है कि याची द्वारा कारण बताओ नोटिस के जवाब में प्रस्तुत उत्तर पर विचार नहीं किया गया है। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह धोखाधड़ी, छिपाव या मिथ्याव्यपदेशन का मामला है। इसके अतिरिक्त, जब दीवानी कार्यवाई के लिए कोई आदेश पारित किया जाता है, तो न केवल जवाब मांगने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए, बल्कि कारण बताओ नोटिस के जवाब में प्रस्तुत उत्तर पर भी विचार किया जाना चाहिए।

12. तदनुसार, चुनौती दिए गए आदेश को स्थिर नहीं रखा जा सकता। रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित शर्तों के अनुसार किया जा रहा है।

(क) तीसरे प्रत्यर्थी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, सरकारी टीबी अस्पताल, प्रयागराज द्वारा पारित आदेश दिनांकित 23.08.2025 को रद्द किया जाता है;

(ख) मामले को दो महीने की अवधि के भीतर नया आदेश पारित करने के लिए प्राधिकारी को वापस भेज जाता है।

उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

**16 फरवरी, 2026**

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

नोट- निर्णय में 560 शब्द पहले से ही हिन्दी में है।

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



Translated version. Not for Legal Use.

#### अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"